राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालसा / बैनर–हॉर्डिग–बोर्ड / 2012 / 19570 दिनांकः– 28–9–2012

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषयः न्यायालय / न्यायालय परिसर / बार रूम के बाहर सदृश्य स्थान पर लगाई जाने वाली सूचना पट्टिकाऐं / बैनर, पोस्टर आदि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि नाल्सा एवं राल्सा के निर्देशानुसार जारी विभिन्न जनपयोगी कार्यक्रमों एवं स्कीमों बाबत आम आदमी की जानकारी व पहुंच मे न होने का तथ्य माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के ध्यान मे आया है। विधिक सेवा कार्यक्रमों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि संबंधित कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी एवं लाभकारी स्कीमो तथा प्रावधानों की जानकारी संबंधित प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे व जिस व्यक्ति के लिए यह सब योजनाऐं, प्रावधान बने है को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो।

विगत कुछ समय में कई नई योजनाऐं, कार्यक्रम, स्कीमस् आदि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में प्रभावी किये गये है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इन सबकी जानकारी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व विधिक सेवा कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक जिला प्राधिकरण एवं तालुक समिति पर अधिक होने से निम्नाकिंत आशय की सूचनाऐं / बोर्ड / हॉर्डिगस् / बैनरस् उनके सम्मुख स्थानों पर लगवाये जाकर पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र चाही गई है।

1. **विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित सूचना** – न्यायक्षेत्र के अधिकाधिक ऐसे स्थान (राजस्व न्यायालय परिसर सहित) जहां कि इसकी उपयोगिता सर्वाधिक प्रतीत हो। (अधिकतम जिला मुख्यालय स्तर पर 10 एवं तालुक स्तर पर 5–5)
2. **जिला प्राधिकरण एवं तालुक समिति स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु मुकर्रर अधिवक्तागण के पैनल के नामों की सूची मय टेलिफोन नम्बर** – जिला न्यायालय परिसर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं बार एसोसियेशन कार्यालय के बाहर (राजस्व न्यायालय परिसर सहित)।
3. **निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन अधिवक्तागण को देय फीस मय खर्चा राशि का विवरण** – जिला प्राधिकरण एवं तालुक समिति परिसर एवं बार एसोसियेशन कार्यालय के बाहर (राजस्व न्यायालय परिसर सहित)।
4. **Legal Aid Counsel Scheme के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिये जमानत व रिमाण्ड कार्य हेतु मुकरर्र अधिकवक्ता के नाम की पट्टिका मय टेलिफोन नम्बर** – संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के बाहर एवं जैल परिसर।

5. **किशोर न्याय बोर्ड में विधिक सेवा कार्यकम के अधीन पैरवी हेतु मुकरर्र अधिवक्तागण के पैनल के नाम मय टेलिफोन नम्बर** – किशोर न्याय बोर्ड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं बार एसोसियेशन कार्यालय के बाहर।
6. **राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी संबंधी राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये पोस्टर, विधिक जानकारी संबंधी सामग्री** – न्यायालय परिसर, (राजस्व न्यायालय परिसर सहित) बार रूम, प्रत्येक पुलिस थाना के बाहर।

उपरोक्त वर्णित जानकारियों के बोर्ड/सूचना पट्ट/फलेक्सि बोर्ड आदि वर्णित प्रति सूचना पृथक–पृथक बनेगें जिनकी संख्या का निर्धारण अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

प्रत्येक वर्णित उपरोक्त बोर्ड, फलैक्स बोर्ड, बैनर, सूचना पट्टिका के नीचे "अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क" में जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के साथ–साथ राज्य प्राधिकरण की हैल्प लाईन नम्बर 0141–2385877 एवं वेब साईट www.rlsa.gov.in का भी उल्लेख किया जावें।

राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यक्रमों/स्कीमों बाबत तैयार किये गये ड्राफ्ट मॉडल जो कि राल्सा के वेबसाईट www.rlsa.gov.in पर डाली गई है, का उपयोग जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा किया जा सकता है। इसकी साफ्ट कॉपी पृथक से आपको भेजी जा रही है।

इस हेतु वांछित बजट अधिनियम की धारा 4–सी में आवंटित राशि से अथवा राज्य सरकार के बजट मद प्रचार–प्रसार मे देय बजट राशि मे से उपयोग किया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पालना रिपोर्ट माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक रूप से अन्दर अवधि 15 दिवस मे चाहे जाने से पालना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें ताकि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय,

संलग्नः नमूना।

ह0
(के.बी.कट्टा)
सदस्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।
2. उप सचिव, राज.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।

ह0
सदस्य सचिव,

राज.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।